

क्रम-संख्या-245 (क)



रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल०-
डब्लू०/एन०पी०/91/2014-16
लाइसेन्स टू पोस्ट एट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 9 दिसम्बर, 2020

अग्रहायण 18, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
राज्य कर अनुभाग-2

संख्या 1371/ग्यारह-2-20-9(47)-17-उ०प्र०अधि०-1-2017-आदेश-(163)-2020

लखनऊ, 9 दिसम्बर, 2020

अधिसूचना

प०आ०-519

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, एतद्वारा अधिसूचना सं०-क०नि०-2-983/ग्यारह-9(47)-17-उ०प्र०एक्ट-1-2017-आदेश-(42)-2019, दिनांक 02 जुलाई 2019 में अग्रतर निम्नलिखित संशोधन करती हैं, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में तृतीय पैराग्राफ में, प्रथम परन्तुक में, अंक, अक्षर और शब्द "अगस्त 2020 के 31वें दिन" के स्थान पर अंक, अक्षर और शब्द "अक्टूबर 2020 के 31वें दिन" रख दिये जायेंगे।

2-यह अधिसूचना तारीख 31 अगस्त, 2020 से प्रवृत्त हुयी समझी जायेगी।

आज्ञा से,
आलोक सिन्हा,
अपर मुख्य सचिव।

IN pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. 1371 / XI-2-20-9(47)-17-U.P.Act-1-2017-Order-(163)-2020, dated December 9, 2020 :

No. 1371 / XI-2-20-9(47)-17-U.P.Act-1-2017-Order-(163)-2020

Dated Lucknow, December 9, 2020

IN exercise of the powers conferred by section 148 of the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (U.P. Act no. 1 of 2017) the Governor, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendment in the notification no. K.A.NI.-2-983/XI-9(47)/17U.P.Act-1-2017-Order-(42)-2019, dated July 02, 2019, namely :-

IN the said notification, in the third paragraph; in the first proviso, for the figures, letters and words "31st day of August, 2020", the figures, letters and words "31st day of October, 2020" shall be substituted.

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 31st day of August, 2020.

By order,
ALOK SINHA,
Apar Mukhya Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 615 राजपत्र-2021-(1229)-599 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी० / ऑफसेट) ।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 68 सा० राज्य कर-2021-(1230)-1000 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी० / ऑफसेट) ।